सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 10 राँची, बुधवार, 6 जनवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2020

संख्या-Juidco Ltd./Water supply/user chages policy/2619/2000-3427--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, क्षेत्र एवं विस्तार -**
   (i) यह नियमावली ''झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020'' कही जायेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।
2. **परिभाषा-** इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,
   (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011;
   (ii) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र;
   (iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है- झारखण्ड सरकार;

(iv) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय;

(v) बोर्ड से अभिप्रेत है- स्थानीय नगर निकाय के बोर्ड से है।

(vi) "संचार नल" से अभिप्रेत है -

(क) जहाँ जलापूर्ति पाने वाला परिसर मुख्य सड़क से सटा हो जिसमें मेन पड़ा हो और सेवा-नल सड़क से सटे किसी भवन की बाहरी दीवार से न होकर सीधे उस परिसर में जाता हो, और उस परिसर में उस सेवा-नल में लगा स्टाप कॉक उस सड़क की सीमा से उतना नजदीक हो जितना व्यावहारिक रूप से समुचित हो, वहां सेवा-नल का उतना भाग जितना मेन और कुंजी के बीच पड़ता है, और

(ख) अन्य मामले में, नल का उतना भाग जितना मेन और सड़क, जिसमें मेन पड़ा हो, की सीमा के बीच पड़ता हो, और उसमें शामिल सेवा-नल और मेन की जोड़ पर लगा फेरूल इसमें शामिल हो, तथा इसमें अन्य शामिल हैं-

- जहां संचार नल कुंजी पर समाप्त होता हो, ऐसी कुंजी, और
- कोई कुंजी जो संचार नल के छोर और मेन के बीच लगी हो;

(vii) "मेन" से अभिप्रेत है, वह नल जो नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकार के द्वारा सामान्य जलापूर्ति के लिए, न कि किसी खास उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए बैठाया गया हो, और कोई उपकरण, जो ऐसे कनेक्शन लगाने में प्रयुक्त हो, शामिल है;

(viii) "सेवा-नल" से अभिप्रेत है मेन से किसी परिसर को जल की आपूर्ति करने के लिए लगे नल का उतना भाग, जिस पर मेन से निकले जल का दवाब पड़ता है अथवा यदि कोई टैप बन्द न किया गया हो;

(ix) "आपूर्ति-नल" से अभिप्रेत है कोई सेवा-नल जो संचार-नल नहीं है;

(x) "ट्रँक मेन" से अभिप्रेत है वह मेन जो आपूर्ति के श्रोत से फिल्टर या संचय कुण्ड तक अथवा एक फिल्टर या संचय कुण्ड से दूसरे फिल्टर या संचय कुण्ड तक जल पहुंचाने के लिए अथवा आपूर्ति की परिसीमा के किसी एक भाग से ऐसे परिसीमा के दूसरी भाग तक थोक मात्रा में पानी पहुँचाने के लिए, अथवा थोक मात्रा में पानी लेने या देने के लिए निर्मित हो;

(xi) "वाटर फिटिंग्स (जल जुड़नार)" के अंतर्गत है नल (मेन को छोड़कर), टोंटी, कॉक, वाल्व, फेरूल, मीटर सिस्टर्न, वाथ तथा ऐसे अन्य उपकरण जो जल की आपूर्ति और उपभोग में प्रयुक्त होते है;

(xii) "घरेलू उपभोग" से अभिप्रेत है घरेलू परिसर के लिए जल का प्रयोग;

(xiii) "गैर घरेलु उपभोग" से अभिप्रेत है वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं संस्थाओं के लिए जल का प्रयोग;

(xiv) आवासीय उपभोक्ता-घरेलू (व्यक्तिगत एवं अपार्टमेन्ट) उपभोग के लिए जल का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता।

(xv) वाणिज्यिक उपभोक्ता-वह परिसर जो सामानों के प्रदर्शन, संचरण या थोक एवं खुदरा विक्रय के लिए व्यवहृत होता हो और जिसमें भुगतान के विरूद्ध सेवा उपलब्ध होती हो;

(xvi) औद्योगिक उपभोक्ता- वह परिसर या भवन जो पूर्ण या आंशिक रूप से सामग्रियों के उत्पादन निर्माण (फैब्रिकेसन), मरम्मति, जोड़ने (एसेम्बल), परिशकरण के लिये उपयोग होता हो यथाः-ऐसेम्बलीप्लांट, प्रयोगशाला, ऊर्जाघर (पावरप्लांट), परिशकरणशाला (रिफाइनरी), धूमघर (स्मोक हाउस), गैस संयंत्र, दुग्धशाला कारखाना आदि एवं SSI इकाई के रूप में, जिसका कोटिकरण उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित/परिभाषित किया गया हो;

(xvii) सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता-वैसे उपभोक्ता जो घरेलू, वाणिज्यिक या ओद्यौगिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हो यथाः- सभी सरकारी भवन, अर्धसरकारी भवन, लोक उपक्रम के भवन, समिति, पर्षद, प्राधिकार, स्थानीय निकाय, शिक्षण/स्वास्थ्य संस्थान, धार्मिक संस्थान;

(xviii) **अवैध जल संयोजन -**

(क) नगर निकाय के अनुमति के बिना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्वेच्छा से जल संयोजन कर जलापूर्ति उपयोग करना है।

(ख) नगर निकाय द्वारा अनुमोदित फेरूल के साईज से अधिक उच्च साईज का फेरूल से संयोजन कर जलापूर्ति का उपभोग करना है।

(xix) वैसे उपयोग किये गये शब्द या कथन जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं उनका तात्पर्य (अर्थ) वही होगा जैसा की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में परिभाषित किया गया हो;

3. जलापूर्ति संबंधी शहरी स्थानीय निकाय का कर्त्तव्य:-

(क) सामान्य कर्तव्यः

(i) नगर क्षेत्र के भीतर यथेष्ट एवं स्वास्थ्यकर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(ii) शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के प्रत्येक भाग में जहाँ घर हो वहां के निवासियों के घरेलु प्रयोजनों के लिए आरोग्यकर जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना।

(iii) वैसे स्थल जहाँ जल की आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध हो, को छोड़कर उचित खर्च पर घरों तक नल का कनेक्शन लगाना। वैसे स्थल जहाँ उचित खर्च पर नल लगाने की संभावना नहीं हो वहाँ दूसरे माध्यमों से जल की आपूर्ति करना।

उचित खर्च पर सार्वजनिक आपूर्ति की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं, वैसे मामलों का विनिश्चिय नगरपालिका स्वयं करेगी।

(iv) शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर मानव उपयोग के लिए आपूर्ति किये जा रहे जल की अरोग्यता/शुद्धता की जाँच करेगा।

(ख) परिचालन (रख रखाव एवं संचालन) से संबंधित

(i) रख रखाव एवं संचालन निम्न में से किसी एक द्वारा किया जाएगाः-

- स्थानीय शहरी निकाय द्वारा।
- वाह्य श्रोत द्वारा।

वाह्य श्रोत द्वारा रख रखाव एवं संचालन किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाएगें:-

- ♦ जुडको (झारखण्ड सरकार का एक उपक्रम) द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया से एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
- ♦ झारखण्ड राज्य में सभी रख रखाव एवं संचालन गतिविधि के लिए जुडको केन्द्रीय नोडल बिन्दू होगा।
- ♦ वाह्य एजेन्सी के चयन के उपरान्त स्थानीय शहरी निकाय, जुडको एवं एजेन्सी के साथ एक त्रिपक्षीय एकरारनामा किया जाएगा, जो सभी पर लागू होगा।
- ♦ जल शुल्क से प्राप्त राजस्व का व्यय केवल जलापूर्ति संबंधी गतिविधियों हेतु ही किया जाएगा तथा इसके लिए अलग से विशिष्ट एस्क्रो खाता (Escrow Account) खोला एवं उसका संधारण किया जाएगा।

चयनित वाह्य एजेन्सी निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगाः-

- वाटर इनटेक (Water Intake) एवं पम्पींग मशीनों के रख रखाव एवं संचालन का कार्य।
- सभी तरह के राइजिंग मेन वितरण (Rising main distribution), उन्नत सेवा जलाशय पम्प घर (ESR pump house), गृह संयोजन (रख रखाव एवं संयोजन), सभी बिजली उपकरण, स्काडा प्रणाली (SCADA System) के रख रखाव एवं संचालन का कार्य।
- अन्तिम उपभोक्ता तक सही दबाव में पेयजल आपूर्ति का कार्य। इसके लिए महत्वपूर्ण माप अंक (Critical measure points) बनाए रखना आवश्यक होगा।
- प्रासंगिक मानक (Relevant Standards) के अनुसार व्यक्तिगत बिन्दू तक शुद्ध जल आपूर्ति का कार्य।
- गैर राजस्व जल (Non Revenue Water) में कमी लानी होगी, जो कि अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगा। यह मुख्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicator) का अभिन्न अंग होगा।
- ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली का रख रखाव एवं संचालन कार्य। तथा नियत अवधि में संबंधित शिकायतों का निवारण का कार्य।

  उक्त सभी तरह के कार्य ही वाह्य एजेन्सी के मुख्य निष्पादन संकेतक (KPI) का आधार होगा।

4. जल संयोजन का प्रकार:- जल के उपभोग के आधार पर जल संयोजन निम्न रूप से वर्गीकृत होंगे:-

(i) आवासीय संयोजन - व्यक्तिगत एवं अपार्टमेन्ट के उपभोग हेतु प्रयुक्त जल।

(ii) वाणिज्यिक संयोजन - वाणिज्यिक उपभोग हेतु प्रयुक्त जल।

(iii) औद्योगिक संयोजन - लघु उद्योग एवं अन्य औद्योगिक इकाई में प्रयुक्त जल।

(iv) सांस्थिक एवं सरकारी संयोजन - संस्थाओं/सरकारी भवनों में प्रयुक्त जल।

5. जल संयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

(क) नये जल संयोजन हेतु उपभोक्ता (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सांस्थिक एवं सरकारी) द्वारा शहरी निकाय के वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा, साथ ही वांछित दस्तावेज को अपलोड करते हुए शुल्क का भुगतान भी किया जायेगा।

(ख) जल संयोजन अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं अधिष्ठापन की प्रक्रिया:- जल संयोजन अनुमोदन की प्रक्रिया के तीन चरण होंगे

i. प्राथमिक सत्यापन
ii. स्थल निरीक्षण
iii. उच्च स्तरीय अनुमोदन

प्रथम चरण: प्राथमिक सत्यापन		
संबंधित पदाधिकारी	**कार्य एवं दायित्व**	**समय सीमा**
डिलिंग पदाधिकारी	आवेदक से जल संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन की प्राथमिक जांच कार्रवाई की जायेगी।	02 दिन

द्वितीय चरण: स्थल निरीक्षण		
संबंधित पदाधिकारी	**कार्य एवं दायित्व**	**समय सीमा**
कनीय अभियंता	संबंधित कनीय अभियंता क्षेत्र में जाकर मामले की जाँच करेगा एवं प्रस्ताव तैयार करते हुए जल शाखा के शाखा प्रधान को अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगा	04 दिन

तृतीय चरण: उच्च स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया		
संबंधित पदाधिकारी	**कार्य एवं दायित्व**	**समय सीमा**
शाखा प्रधान	कनीय अभियंता के अनुशंसा प्रतिवेदन के आधार पर संचिका संबंधित सहायक अभियंता को उपस्थापित करेंगे।	02 दिन
सहायक अभियंता	सहायक अभियंता द्वारा मामले की तकनीकी पक्षों एवं जल संयोजन की वांछित प्रक्रिया के साथ संचिका प्रभारी पदाधिकारी को पदस्थापित करेंगे।	03 दिन

नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक अभियंता/ कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा जल संयोजन अधिष्ठापन हेतु अन्तिम आदेश पारित करेंगे।	02 दिन

क्रियान्वयन एवं अधिष्ठापन		
संबंधित पदाधिकारी	**कार्य एवं दायित्व**	**समय सीमा**
आवेदक	नगरपालिका द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जाने के 15 दिनों के अन्दर आवेदक आई॰एस॰आई॰ प्रमाणित मीटर के साथ शहरी स्थानीय निकाय से अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर/ अधिकृत अथवा अनुमोदित संस्था (ऐजेन्सी) के द्वारा जल संयोजन अधिष्ठापित करते हुए इसकी सूचना शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।	15 दिन

(ग) अधिष्ठापन की पावती की डुप्लीकेट प्रति ऐजेन्सी/निकाय द्वारा तैयार की जायगी और एक प्रति नकाय में प्रस्तुत की जायगी और अन्य नागरिक के पास रहेगी।

(घ) जल संयोजन के अधिष्ठापन के पश्चात् बोरिंग को अवैध माना जायगा। बोरिंग के पाये जाने पर जल संयोजन को अनाधिकृत माना जा सकता है।

6. फेरूल की मापः-

(i) घरेलु उपभोक्ता के लिए फेरूल की माप निम्न से ज्यादा नहीं होगी

निर्मित क्षेत्र	**फेरूल का व्यास**
100 वर्ग मीटर से कम	06 mm
100 वर्ग मीटर से ज्यादा तथा 200 वर्ग मीटर से कम	10 mm
200 वर्ग मीटर से ज्यादा तथा 400 वर्ग मीटर से कम	12 mm
400 वर्ग मीटर से ज्यादा	16 mm

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृति किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा इन मानको में परिवर्तन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

(ii) गैर घेरलू उपभोक्ता (औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्थिक एवं सरकारी) प्रतिस्थानों के फेरूल साईज का निर्धारण संबंधित उपभोक्ता द्वारा दिए गए आवेदन की जांच स्थानीय निकाय के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरांत अनुमति प्रदान की जायेगी।

7. स्थायी/अस्थायी जल संयोजन:-

(i) स्थायी जल संयोजन-स्थायी जल संयोजन हेतु गृहस्वामी अथवा पट्टेदार अथवा ठीकेदार द्वारा नियम-8 के अनुरूप वांछित दस्तावेज समर्पित करते हुए नगरपालिका के समक्ष आवेदन किया जायेगा।

(ii) अस्थायी जल संयोजन-धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य आयोजनों हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए अस्थायी जल संयोजन के लिए आयोजक द्वारा नगरपालिका के समक्ष आवेदन किया जायेगा।

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एक निश्चित अवधि, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, के लिए अस्थायी जल संयोजन अधिष्ठापित किया जायेगा।

8. स्थायी जल संयोजन हेतु वांछित दस्तावेज:- आवेदक स्थायी नये जल संयोजन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/दस्तावेजों की छायाप्रति नगरपालिका के समक्ष समर्पित करेगाः-

क्र॰	आवेदक का प्रकार	आवश्यक दस्तावेज
i.	आवेदक, जिनके पास होल्डिंग संख्या एवं एस॰ए॰एफ॰ संख्या उपलब्ध है।	होल्डिंग संख्या/एस॰ए॰एफ॰ संख्या के साथ पहचान पत्र।
ii.	आवेदक, जिनके पास होल्डिंग संख्या उपलब्ध नहीं है।	आवेदक को सर्वप्रथम होल्डिंग संख्या प्राप्त करते हुए पहचान पत्र के साथ आवेदन समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
iii.	आवेदक, जो झुग्गी बस्ती/धार्मिक स्थान पर जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गफीट से कम हो एवं उनके पास होल्डिंग संख्या उपलब्ध नही हो।	पहचान पत्र एवं शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व शाखा से अभिप्रमाणित शपथ पत्र।
iv.	अपार्टमेन्ट/अपार्टमेन्ट सोसायटी के सचिव।	अपार्टमेन्ट के सचिव का पता प्रमाण, सोसायटी के बैठक की कार्यवाही एवं स्वघोषणा पत्र, जिसमें अपार्टमेन्ट के सभी इकाई का होल्डिंग कर नियमावली के तहत मूल्यांकन की गयी हो, की घोषणा हो।

v.	किरायेदार के द्वारा आवेदन।	पहचान पत्र, मकान मालिक की सहमति का शपथ पत्र, होल्डिंग संख्या या एस॰ए॰एफ॰ संख्या।
vi.	बी॰पी॰एल॰ आवेदक।	बी॰पी॰एल॰ संख्या के साथ पहचान पत्र।
vii.	Partnership Firm or Limited Liability Partnership Firm	Partnership Deed, PAN Card, मुख्य भागीदार का पहचान पत्र, बिजली विपत्र और होल्डिंग संख्या अथवा एस॰ए॰एफ॰ संख्या।
viii.	आवेदक कम्पनी	Company in corporation Certificae, Principal Director/Key management Personal का PAN Card, पहचान पत्र, बिजली विपत्र, होल्डिंग संख्या या एस॰ए॰एफ॰ संख्या।
viii.	अस्थायी जल संयोजन	पहचान पत्र एव शपथ पत्र

9. आवेदन की अस्वीकृति:-

i. आवेदन की अस्वीकृति की सूचना शहरी स्थानीय निकायों को 15 दिनों के अन्दर आवेदक को देनी होगी, जिसमें अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट उल्लेख अंकित होगा।

ii. 15 दिनों के अन्दर आवेदन अस्वीकृत नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जायेगा।

10. जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क

Description	**Criteria (built up area)**	**Connection Fees (in Rs)**
आवासीय उपभोक्ता	Up to 1000 sqft	7000
	1001 to 3000 sqft	14000
	3001 to 5000 sqft	28000
	Above 5000 sqft	42000
सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता	Built-up area (BA)	26 Rs /sqft
वाणिज्यिक उपभोक्ता	Built-up area (BA)	26 Rs /sqft
औद्योगिक उपभोक्ता	Built-up area (BA)	26 Rs /sqft

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold)(BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा।

11. जल संयोजन मासिक शुल्क

i. मीटरयुक्त जल संयोजन की दर निम्नवत् होगी:

क्रमांक	इकाई (कि.लि.	आवासीय		संस्थागत	व्यवसायिक	औद्योगिक
		APL	BPL			
1	≤ 05	निःशुल्क		Y=1.2 X	Z=1.5 X	A=2.0 X
2	>05 & ≤ 50	X	0.5 X	Y	Z	A
3	>50 & ≤ 500	1.2 X		1.2 Y	1.2 Z	1.2 A
4	>500	1.5 X		1.5 Y	1.5 Z	1.5 A

ii. उप कंडिका-i में विनिर्दिष्ट X का मान निम्न होगा

क्रमांक	निकाय	X का मान
1	नगर निगम	9.00/KL
2	नगर परिषद	7.00/KL
3	नगर पंचायत	5.00/KL

उक्त X की मान मे लगभग 45% बिजली की लागत है तथा शेष 55% अन्य लागत है ।

iii. प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात् झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लेखित प्राधिकार द्वारा Xका मान का पुनर्निर्धारण किया जाएगा अथवा बिजली दर (Power Tariff) में परिवर्तन होने की दशा में X के मान में बिजली की लागत के अनुपात में वृद्धि की जाएगी।

iv. मीटर खराब होने की स्थिति में इसकी सूचना उपभोक्ता द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को दी जाएगी एवं मीटर खराब रहने की स्थिति में मासिक जल संयोजन का निर्धारण उपभोक्ता के विगत 03 माह के विपत्र का औसत परिगणित करते हुए वसूल की जाएगी।

v. नये ।S। प्रमाणित मीटर उपभोक्ता द्वारा स्वंय क्रय की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मीटर अधिष्ठापित किए जाने की स्थिति में मीटर का मूल्य उपभोक्ता से वसूल की जाएगी।

12. मासिक जल शुल्क का भुगतान

i. मीटर रिडिंग के आधार पर जल शुल्क विपत्र निर्गत किया जाएगा। उपभोक्ता को शहरी स्थानीय निकायों अथवा प्राधिकृत एजेन्सी को मासिक जल शुल्क का भुगतान लागू विधि के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।

ii. जल मीटर के किसी त्रुटि का पता लगाने एवं उसका निराकरण करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

13. नलसाज (Plumber)/एजेंसी का अनुज्ञप्ति

i. नलसाज/एजेंसी द्वारा विहित प्रपत्र-ख में आवेदन शहरी स्थानीय निकायों को समर्पित किया जायेगा। आवेदन के जाँचोपरान्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नलसाज/एजेंसी को 05 वर्षों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा।

ii. शहरी स्थानीय निकाय अनुज्ञप्तिधारी नलसाजों/एजेंसी की नियुक्ति की शर्त, बंधेज, कर्त्तव्य, दायित्व, कृत कार्य के लिए अदा किया जाने वाला शुल्क, किसी परिसर के

स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई, निपटाव, अनुज्ञप्ति का निलम्बन एवं रद्दीकरण के संबंध में विनियम अथवा दिशा-निर्देश जारी करेगा।

14. मासिक जल शुल्क भुगतान नहीं किए जाने पर दण्ड

i. जल शुल्क का भुगतान लगातार दो महीनों तक नहीं किए जाने की स्थिति में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोक्ता से 1.5% प्रति माह ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क की वसूली की जाएगी।

ii. लगातार छः माह तक जल शुल्क भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में उपभोक्ता का जल संयोजन बाधित कर दी जाएगी एवं बकाया राशि दोगुना दर से वसूल की जाएगी साथ ही ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को पुनः नये जल संयोजन अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।

15. पुराने मीटररहित संयोजन का मीटरयुक्त में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया

i. पुराने मीटररहित जल संयोजन उपभोक्ता को इस अधिसूचना के लागू होने के छः माह के अन्दर मीटरयुक्त जल संयोजन में परिवर्तित किया जाना आवश्यक होगा तथा इसके लिए उपभोक्ता को कोई जल शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर नये जल संयोजन अधिष्ठापित नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे जल संयोजन को अवैध समझा जाएगा एवं नियम-16 (i) के तहत जुर्माने की राशि उपभोक्ता से वसूल की जाएगी।

ii. छः माह तक अथवा नये जल मीटर अधिष्ठापन से पूर्व पुराने दर से मासिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ता द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को किया जाता रहेगा।

iii. नई परियोजनाओं में पुराने मीटररहित जल संयोजन को मीटरयुक्त संयोजन में परिवर्तन यदि चाहें तो राज्य सरकार अपने मद से करा सकती है।

16. अवैध जल संयोजन को वैध मीटरयुक्त जल संयोजन में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया

i. अवैध जल संयोजन की स्थिति में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 208 के आलोक में घरेलू प्रयोजनार्थ जल उपभोग की स्थिति में 4,000/- रू० (चार हजार रू०) एकमुश्त जुर्माना उपभोक्ता से वसूल की जाएगी। गैर घरेलू प्रयोजनार्थ (औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्थिक एवं सरकारी) अवैध जल संयोजन की स्थिति में 10,000/- रू० (दस हजार रू०) एकमुश्त जुर्माना उपभोक्ता से वसूल की जाएगी। साथ ही ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को नियमावली के प्रावधानों के तहत् नये जल संयोजन के लिए शहरी स्थानीय निकायों में विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क भी देय होगा।

जुर्माने की राशि उपभोक्ता से निम्न प्रकार वसूल की जाएगीः-

क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	जुर्माने की राशि	प्रथम किश्त की राशि एवं समय	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त
1	घरेलू उपभोक्ता	4,000	1600/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने से एक सप्ताह के अंदर)	1200/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने के अगले माह के अंदर)	1200/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने के दुसरे माह के अंदर)
2	गैर घेरलू उपभोक्ता औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्थिक एवं सरकारी)	10,000	4000/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने से एक सप्ताह के अंदर)	3000/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने के अगले माह के अंदर)	3000/-रू॰ (अवैध कनेक्शन पाये जाने के दुसरे माह के अंदर)

उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त जुर्माना की राशि भुगतान किये जाने पर जुर्माने के कुल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी।

ii. अधिसूचना के लागू होने के छः माह के अन्दर अवैध जल संयोजन (घरेलू/गैर घरेलू) के उपभोक्ता द्वारा स्वयं की अवैध जल संयोजन की स्वीकारोक्ति एवं नये जल संयोजन हेतु नगरपालिका के समक्ष आवेदन किये जाने की स्थिति में उप कंडिका-i में प्रावधानित जुर्माना राशि की आधा राशि उपभोक्ता से वसूल की जाएगी।

17. परिसरों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति

i. नियमावली के नियम-14 (ii) के अधीन निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत रकम देय होने पर चुकाने में असफल रहने की स्थिति में;

ii. शहरी स्थानीय निकायों के लिखित सूचना पर भी जल का उपभोग करते रहने तथा नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने की स्थिति में;

iii. नियमावली के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी को परिसर में प्रवेश नहीं दिए जाने की स्थिति में;

iv नल या किसी पाईप को जानबूझकर या उपेक्षावश क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में;

v. प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जाँच किए जाने पर, कोई नल, टोंटी, निर्माण या जुड़नार से जल की बर्बादी भारी मात्रा में परिलक्षित हो रही हो और पदाधिकारी की राय में इसे तुरन्त रोकना आवश्यक हो;

vi. यदि परिसर का मानव निवास हेतु उपयोग झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अधीन निषिद्ध हो;

vii. परिसर में अवस्थित कोई जलापूर्ति नल, जिसमें टोंटी या जलापूर्ति रोकने का उपयुक्त साधन लगा हुआ नहीं हो;

viii. यदि सेवा नल या जुड़नार से जल के रिसाव के कारण सार्वजनिक सड़क को नुकसान होता हो, और तुरन्त रोकना आवश्यक हो;

ix. जलापूर्ति काटने की सूचना लिखित रूप में परिसर के अध्यासी/परिसर स्वामी को 72 घंटे पूर्व दी जाएगी तथा खर्च की वसूली परिसर के अध्यासी से की जाएगी;

18. जल की बर्बादी रोकना

i. कोई व्यक्ति/अध्यासी/परिसर स्वामी जल की बर्बादी नहीं होने देगा तथा अपने परिसर में जलापूर्ति के लिए लगे नलों, निर्माणों या जुड़नारों को बिगडी हालात में नहीं रहने देगा, जिससे जल की बर्बादी हो।

ii. अध्यासी/स्वामी द्वारा मीटर/आपूर्ति नल के साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा तथा जल का विक्रय नहीं करेगा। मीटर/आपूर्ति नल खराब होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी नलसाज से ही मरम्मती कराया जाएगा।

iii. कोई भी व्यक्ति शहरी स्थानीय निकाय के किसी पाईप लाईन से ट्रॅक मेन्स या मेन्स या सेवा नल या आपूर्ति नल से मोटर लगाकर या ऐसी अन्य युक्ति से अवैध रूप से न जल निकालेगा, न दिशान्तरित करेगा, या न लेगा।

19. जलापूर्ति से संबंधित अपराध

यदि शहरी स्थानीय निकाय जल-संकर्म से संयोजित किसी परिसर में जलापूर्ति के बारे में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं इस नियमावली के अधीन कोई अपराध किया जाए, तो उक्त परिसर का स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी इस अपराध के भागी होंगे।

20. कठिनाई को दूर करने की शक्ति

यदि इन नियमों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगा कि वह इस मामले में इन नियमों के सारतत्व को प्रभावित किए बिना कोई निदेश जारी कर सकेगा।

21. निरसन एवं व्यावृति

i. एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेश/अधिसूचना/पॉलिसी/संकल्प आदि इस नियमावली के प्रवाभी होने की तिथि से निरसित समझा जाएगा। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से "नगरपालिका जल कार्य, संधारण-जल अधिभार एवं गृह जल संयोजन नियमावली-2006" निरसित समझा जाएगा।

ii. ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त सभी आदेश/अधिसूचना/पॉलिसी/संकल्प आदि या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई कार्रवाई मान्य समझे जायेंगे तथा यह समझा जाएगा कि यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत था जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

प्रपत्र-क

नए जल संयोजन/ नियमितिकरण के लिए आवेदन (फॉर्म-क) XXX(ULB) के लिए

- इस फॉर्म को जमा करने से पहले (*) चिहिन्त सभी क्षेत्रों को भरें।
- सभी नए आवेदन में मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन शामिल होना चाहिए।

कनेक्शन हेतु आवेदन का विवरण

आग्रह का प्रकार.....
(नया जल कनेक्शन/ नियमितीकरण)

संपत्ति के प्रकार (कृपया नीचे सही का निशान लगाएं)

होल्डिंग नंबर के साथ आवासीय घर ☐ अपार्टमेंट ☐

होल्डिंग नंबर के साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ☐ अन्य ☐

संस्थागत ☐

उद्योग ☐

सम्पति विवरण

वार्ड नं..... लेन्ड्मार्क (यदि कोई हो).....

सामान्य विवरण

होल्डिंग नंबर/SAF No. (यदि कोई हो).....

पता.....
.....फ्लैटों की संख्या.....

आवेदक श्रेणी- (कृपया सही का निशान लगाएं) APL ☐ BPL ☐

आवेदक का नाम..... पिता/पति का नाम.....

संचार पता..... मोबाइल नंबर.....

..... फोन नंबर.....

..... पिन कोड.....

बैंकिंग ब्योरा

बैंक का नाम *..... खाता क्रमांक *.....

IFSC* ..... शाखा का नाम*.....

जल मीटर का विवरण (आईएमआई मार्क होना चाहिए)

मीटर नं..... मीटर बनाने का साल.....

ब्रांड/कम्पनी का नाम.....

खरीदने की तारीख..... (ध्यान दें: पानी का मीटर अग्रिम में खरीदा जाना चाहिए जिसे लागू किए गए जल कनेक्शन की स्वीकृति के बाद स्थापित किया जाए।)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. होल्डिंग टैक्स का अंतिम रसीद .....
2. वर्तमान बिजली बिल भुगतान का रसीद.....
3. निम्न में एक पहचान पत्र संलग्न करें-

⟹ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ ⟹ आधार कार्ड ☐

⟹ पैन कार्ड ☐ ⟹ बैंक पास बुक ☐

⟹ पासपोर्ट ☐ ⟹ किसी भी सरकार/ ऐजेंसी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र ☐

⟹ वोटर आईडी कार्ड ☐

4. अपार्टमेंट के मामले में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट/प्रूफ ऑफ़ कंप्लीशन सर्टिफिकेट.....
5. वाणिज्यिक कनेक्शन के मामले में ट्रेड लाइसेंस संलग्न करें। .....

यदि आवेदक बीपीएल श्रेणी से संबंधित है तो उससे संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित बीपीएल कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।.....

घोषणा

1. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ एवं सही है और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो XXX(ULB) द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जल संयोजन को हटाने और किसी भी कि गई कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

2. मैं घोषणा करता हूँ कि संपत्ति पर कोई विवाद नहीं है और पानी के कनेक्शन प्राप्त कने के खिलाफ किसी भी अदालत से कोई रोक नहीं है।

3. मैं आगे घोषणा करता हूँ कि संपत्ति के स्वामित्व के बारे में किसी भी विवाद के मामले में, मैं XXX(ULB) को कानून की अदालत में किसी भी कानूनी लड़ाई से अनुपस्थित कर दूंगा क्योंकि जिस पानी के लिए आवेदन किया गया है वह पीने योग्य पानी की आपूत्ति से संबंधित है न कि संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध करने के लिए।

4. मैं ULB द्वारा मांगे गए जल शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हूँ, और भुगतान न करने की स्थिति में, दी जा रही सेवाओं को निरस्त करने के लिए ULB स्वतंत्र होगी।

5. मैं ऑर्डर की तारीख से 15 दिनों के भीतर मीटर के साथ अपना जल संयोजन स्थापित कर लूँगा और निर्धारित प्रारूप में इसकी सूचना ULB को उपलब्ध करा दूँगा।

6. मैं अपने द्वारा एक पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा हूँ और भले ही पानी की आपूर्ति कम दबाव पर उपलब्ध हो, मैं कानून के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए कोई दावा दायर नहीं करूंगा।

7. मैं घोषणा करता हूँ कि इस होल्डिंग नं0 पर अन्य कोई जल कनेक्शन नही है।

तारीखः .....

स्थानः ..... (आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रपत्र-'ख

पलम्बिंग हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी

.....

.....

(जलापूर्ति शाखा के संज्ञान हेतु)

महाशय,

मैं..... (ULB) में पाँच वर्षों के लिए (दिनांक ..... से दिनांक ..... तक) पलम्बर के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मेरे द्वारा झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 का अध्ययन कर लिया गया है तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 जो कि जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज से संबंधित है, से पूर्णतः वाकिफ हूँ।
2. मैं संबंधित नियमावली के सभी शर्त्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।
3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि सक्ष्म पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करूँगा/करूँगी।
4. मैं ..... (ULB) को किसी भी तरह का बकाया राशि जमा करने के लिए बाध्य हूँ।
5. मैं राशि..... लाइसेंस अनुमोदन के एक महीने के अन्दर भुगतान के लिए तैयार हूँ।
    - लाइसेंस हेतु राशि .....
    - सुरक्षित जमा की राशि.....

    कुल राशि.....

विवरणीः-

1. आवेदक का पूरा नाम-
2. पिता/पति का नाम-
3. योग्यता-
4. अनुभव-
5. पत्राचार का पता-

आपका विश्वासी

(आवेदक का हस्ताक्षर)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 10 -- 50